न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरूण कुमार हसीजा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र रसद संख्याः 02/2024

दायर दिनांकः 18.06.2024

निर्णय दिनांक 06.03.2026

—:अनवानः—

राज्य सरकार जरिये, चक्षु पंडया, प्रवर्तन निरीक्षक राजसमन्द

— प्रार्थी

—:: बनाम ::—

व्यवस्थापक, ग्राम सेवा सहकारी समिति, उचित मूल्य दुकानदार, सनवाड वार्ड 02 (पुराना) नगरपरिषद, राजसमन्द जिला राजसमन्द

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 सार्वजनिक वितरण प्रणाली का 3.45 क्विंटल गेहूं घोषित स्टॉक से अधिक से भण्डारित पाये जाने से जब्त सरकार कर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के अन्तर्गत राजसात करने बाबत।

उपस्थितः—

1— श्री अनिल बागोरा, राजकिय अधिवक्ता, अधिवक्ता प्रार्थी

2— श्री शम्भुलाल यादव, अधिवक्ता अप्रार्थी

:: निर्णय ::

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 25.04.2024 ग्राम सेवा सहकारी समिति उचित मूल्य दुकानदार, सनवाड वार्ड नम्बर 02 पुराना नगर परिषद राजसमन्द के विरुद्ध अनियमितता के क्रम में शिकायत प्राप्त हुई। इस पर मैं उचित मूल्य दुकान, सनवाड वार्ड संख्या 02 (पुराना) का निरीक्षण करन हेतु उपस्थित हुआ। वक्त जॉच पॉस मशीन संख्या 14033 में घोषित स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया गया, जिसमें भी पॉस मशीन में घोषित स्टॉक 0.6 किलोग्राम से 3. 45 क्विंटल गेहू अधिक पाया गया, उक्त अधिक पाये गये 3.45 क्विंटल गेहू के क्रम

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

में उपस्थित सेल्समेन कुणाल सनाढय से पुछताछ करने पर कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। इस प्रकार उचित मूल्य दुकानदार द्वारा घोषित स्टॉक से अधिक पाये गये 3.45 क्विंटल गेहूं के क्रम में कोई वैध दस्तावेज अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर 3.45 क्विंटल गेहूं को जब्त कर श्री आकाश खींची उचित मूल्य दुकानदार, वार्ड संख्या 04 (पुराना) नगरपरिषद, राजसमन्द की सुपुर्दगी में दिया जाकर सुपुर्दगीनामा पर हस्ताक्षार करवाये गये। उचित मूल्य दुकानदार ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0, सनवाड उचित मूल्य दुकानदार, वार्ड नम्बर 02 (पुराना) नगर परिषद राजसमन्द का उक्त कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1970 तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली 2015 का उल्लघन है. जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम् 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि जब्तशुदा 3.45 विंटल गेहूं को राजसात करने की कृपा करें। चूंकि गेहू शीघ्र खराब होने वाली वस्तु है, अत धारा 6 ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत उक्त सामग्री का उचित मूल्य दुकान के माध्यम से अन्तरिम निस्तारण करने के आदेश प्रदान कराने की कृपा करावे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई। अप्रार्थी की ओर अधिवक्ता श्री शम्भुलाल यादव द्वारा वकालतनाम प्रस्तुत कर उपस्थिति दी गई।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से यह कथन किया कि वक्त जॉच पाँस मशीन संख्या 14033 में घोषित स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया गया, जिसमें भी पॉस मशीन में घोषित स्टॉक 0.6 किलोग्राम से 3.45 क्विंटल गेहू अधिक पाया गया, उक्त अधिक पाये गये 3.45 क्विंटल गेहू के क्रम में उपस्थित सेल्समेन कुणाल सनाढय से पुछताछ करने पर कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि जब्तशुदा 3.45 विंटल गेहूं को राजसात करने की कृपा करें।

अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा बहस में निवेदन किया गया कि दिनांक 19.06.2024 को एक नोटिस प्रेषित कर ग्राम सेवा सहकारी समिति, उचित मूल्य की दुकान पर अनियमितता की शिकायत की और स्पष्टीकरण एवं प्रत्युतर के आदेशित किया गया। जो कि द्वेषतावश की गई हैं। उक्त 3.45 क्विंटल गेहूं ग्राहको के थें और उक्त संबंध में ग्राहको द्वारा जिला रसद अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किये। उसके बाद दिनांक 12.12.2024 को पुनः ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0, सनवाड उचित मूल्य की दुकान चालु करने के आदेश दिये गये। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि जब्तशुदा 3.45 विंटल गेहूं को राजसात नही किया जाकर उपभोक्ताओं को लौटाये जाने की कृपा करें।

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया तथा मामले में गुणावगुण के आधार पर विचार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज,फर्द मौका व जब्ती रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी से 3.45 क्विंटल गेहूं उसके घोषित स्टॉक से अधिक पाया गया हैं। जो राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1970 तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली 2015 का उल्लघन है. और आवश्यक वस्तु अधिनियम् 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है।

दौराने बहस उक्त सम्बन्ध में अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा भी कोई वैध दस्तावेज/साक्ष्य सबुत पेश नही किये गये और अधिक पाये गये 3.45 क्विंटल गेहूं के क्रम में अप्रार्थी से वक्त जब्ती पुछताछ करने पर अप्रार्थी द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर उक्त मामले में अप्रार्थी से जब्तशुदा 3.45 क्विंटल गेहूं को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी से जब्तशुदा 3.45 क्विंटल गेहूं को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी राजसमन्द को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थी से जब्तशुदा 3.45 क्विंटल गेहूं का नियमानुसार निस्तारण कर राशि राज्यमद में जमा करावे। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी राजसमन्द को भिजवायी जावे।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 06.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)